## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

**सा.का.नि. 913(अ).—**केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सा.का.नि. सं. 1136(अ), तारीख 15 जून, 1968 द्वारा प्रकाशित जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, को तत्काल प्रभाव से विखंडित करती है ।

[फा. सं. 2/2/2018-एनएस(भाग-1)]

रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव (बजट)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

**G.S.R. 913(E).—** In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby rescinds with immediate effect the Public Provident Fund Scheme, 1968, published *vide* number G.S.R. 1136(E), dated the 15th June, 1968, except as respects things done and omitted to be done before such rescission.

[F. No. 2/2/2018-NS (Pt. I)]

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy. (Budget)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

**सा.का.नि. 914(अ).—**केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्द्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**–(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम सुकन्या समृद्धि खाता स्कीम, 2019 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएं** – (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "खाता" से इस स्कीम के अधीन खोला गया खाता अभिप्रेत है;

(ख) "खाताधारक" से वह कन्या जिसके नाम से खाता धारित है, अभिप्रेत है;

(ग) "अधिनियम" से सरकारी बचत संवर्द्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;

(घ) "जन्म प्रमाणपत्र" से नगरपालिक प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र या कोई कार्यालय जो जन्म प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है या जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाणपत्र या नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 के उपधारा (1) के खंड (घ) में यथापरिभाषित भारतीय काउंसिल द्वारा जारी प्रमाणपत्र, अभिप्रेत है;

(ङ.) "कुटुंब" से ऐसे व्यक्ति और उसके पति या पत्नी (दोनों या तो जीवित हैं या मृत) और उनके बच्चे चाहें दत्तक लिए गए हों या अन्यथा से संबद्ध इकाई अभिप्रेत है;

(च) "वित्तीय वर्ष" से निम्नलिखित वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है;

(छ) "प्ररुप" इस स्कीम के अधीन संलग्न प्ररुप अभिप्रेत हैं;

(ज) "साधारण नियम" से सरकारी बचत संवर्द्धन साधारण नियम, 2018 अभिप्रेत है;

(झ) "परिपक्वता" से खाते के खोलने की तारीख से 21 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर खाते की परिपक्वता अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है, और परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम और साधारण नियमों में है।

3. **खाते का खोला जाना** – (1) कोई भी खाता कन्या के नाम से उसे किसी संरक्षक द्वारा खोला जा सकेगा जो खाते की खोलने की तारीख को 10 वर्ष की उम्र प्राप्त न की हो ।

(2) प्रत्येक खाता धारक का इस स्कीम के अधीन एकल खाता होगा ।

(3) खाता खोलने के लिए प्ररुप 1 में आवेदन कन्या के जन्म प्रमाणपत्र द्वारा संलग्नित होगा, संरक्षक के अपेक्षित दस्तावेजों के साथ जिसके नाम से खाता खोला जाना है ।

(4) इस स्कीम के अधीन खाता एक कुटुंब में अधिकतम दो कन्याओं के लिए खोला जा सकेगा :

परंतु दो से अधिक खाता किसी कुटुंब में खोला जा सकेगा यदि ऐसे बच्चे जन्म के प्रथम या द्वितीय प्रक्रम में पैदा हुए हों या दोनों ऐसे बच्चों के जन्म के समय में जुड़वा/तीन बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र के साथ संरक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा ।

पंरतु यह और कि उपर्युक्त परंतुक ऐसे द्वितीय प्रक्रम के कन्या के जन्म के मामले में लागू नहीं होगा यदि कुटुंब के प्रथम जन्म के प्रक्रम में उत्तरजीवि दो या दो से अधिक कन्याएं हों ।

4. **निक्षेप** – (1) कोई भी खाता कम से कम दो सौ पचास रुपये के आरंभिक निक्षेप के द्वारा और उसके पश्चात् पचास रुपये के गुणक में खोला जा सकेगा तत्पश्चात् किए गए निक्षेप इस शर्त के अधीन पचास रुपये के गुणक में कम से कम दो सौ पचास रुपये एक खाते में वित्तीय वर्ष में यथा निक्षेप के रुप में किया जा सकेगा ।

(2) खाते में निक्षेपित कुल रकम किसी वित्तीय वर्ष में एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होगी ।

परंतु एक वित्तीय वर्ष में एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक का निक्षेप यदि किसी त्रुटि के कारण स्वीकार किया गया है तो वह किसी ब्याज के लिए और जमाकर्ता को तत्काल वापिसी के लिए पात्र नहीं होगा ।

(3) खाता खोलने की तारीख से 15 वर्षों की अवधि पूर्ण होने तक खाते में निक्षेप किए जा सकेंगे ।

(4) उप पैरा (1) में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम रकम में किसी खाते में निक्षेप नहीं किया गया है तो ऐसा खाता त्रुटि के अधीन समझा जाएगा ।

परंतु त्रुटि के अधीन कोई खाता ऐसे त्रुटि के वर्षों के संबंध में न्यूनतम वार्षिक निक्षेप के साथ त्रुटि के प्रत्येक वर्ष के लिए पचास रुपये दंड के संदाय पर खाते को खोलने की तारीख से 15 वर्षों की अवधि के पूर्ण होने तक किसी भी समय नियमित किया जा सकेगा ।

(5) त्रुटि के अधीन खाते के मामले में, उप पैरा 4 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर यदि विनियमित नहीं किया गया है तो संपूर्ण निक्षेप त्रुटि की तारीख से पूर्व किए गए निक्षेपों सहित खाते के बंदी की तारीख तक स्कीम के लिए लागू दर पर ब्याज के लिए पात्र होगा ।

5. **निक्षेप पर ब्याज** – (1) खाते में निक्षेप पर प्रतिवर्ष 8.4 प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त किया जाएगा ।

(2) महीने के पांचवे दिन और अंतिम दिन के बंदी के बीच खाते में न्यूनतम अधिशेष पर कलैंडर मास के लिए ब्याज विकलित होगा । प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत पर खाते में ब्याज प्रत्यय होगा और रुपये के अंश के ब्याज की कोई रकम निकटतम रुपये के साथ समायोजित की जाएगी और पचास पैसे या उससे अधिक की किसी रकम के उस उद्देश्य के लिए एक रुपये माना जाएगा और पचास पैसे से कम की रकम को छोड़ दिया जाएगा ।

(3) वित्तीय वर्ष के दौरान खाते के अंतरण के कारण लेखा कार्यालय के परिवर्तन के असंगत वित्तीय वर्ष के अंत पर ब्याज का प्रत्यय होगा ।

6. **खाते का प्रचालन** – खाते धारक का 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने तक संरक्षक के द्वारा खाते का प्रचालन किया जाएगा । आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के द्वारा 18 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात् स्वयं उसके द्वारा खाते का प्रचालन किया जाएगा ।

7. **खाते का समयपूर्व बंदी** – (1) खाताधारक की मृत्यु होने पर खाता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए मृत्यु प्रमाणपत्र के प्रस्तुत किए जाने पर प्ररुप 2 में दिए गए आवेदन पर तत्काल बंद किया जाएगा और खाते में प्रत्यय पर अधिशेष और मृत्यु की तारीख तक उस में बताया ब्याज संरक्षक को संदत्त किया जाएगा ।

(2) खाता धारक की मृत्यु की तारीख और खाते के बंदी की तारीख के बीच की अवधि के लिए ब्याज खाते में धारित अधिशेष के लिए डाकघर बचत खाता की लागू दर पर संदत्त किया जाएगा ।

(3) जहां लेखा कार्यालय इस बात से संतुष्ट है कि खाता धारक के जानलेवा बीमारी जैसे चिकित्सा सहयोग के आधार पर अत्यधिक प्रतिकर या खाता धारक के असम्यक कठिनाई के कारण खाते के प्रचालन में संरक्षक की मृत्यु के कारण, लिखित में अभिलिखित किए गए कारणों पर आदेश द्वारा ऐसे बंद किए गए समयपूर्व खाते अनुज्ञात किए जा सकेंगे । स्कीम पर ऐसे लागू बकाये ब्याज के साथ खाते में बकाया अतिशेष खाताधारक या संरक्षक को, जैसे भी दशा में, संदत्त किया जाएगा :

परंतु इस उपपैरा के अधीन खाते के समयपूर्व खाते के खोलने की तारीख से पांच वर्ष के पूर्ण होने के पूर्व बंदी नहीं होगी ।

8. **प्रत्याहरण** – (1) प्ररुप 3 में दिए गए आवेदन पर प्रत्याहरण के लिए आवेदन वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में रकम का अधिकतम पचास प्रतिशत तक खाताधारक के शिक्षा के उद्देश्य के लिए अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु ऐसे प्रत्याहरण खाताधारक के 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने पर या दसवीं पास होने पर, जो भी पहले हो, अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) उप पैरा (1) के अधीन प्रत्याहरण के लिए आवेदन ऐसे वित्तीय अपेक्षा को इंगित करते हुए ऐसे संस्थान से फीस रसीद या ऐसे शैक्षणिक संस्थान से खाताधारक का प्रवेश के प्रस्ताव को पुष्ट करने वाला प्ररुप दस्तावेजी प्रमाणपत्र के द्वारा संलग्निक होगा ।

(3) उप पैरा (1) के अधीन प्रत्याहरण एक मुश्त या किस्तों में किया जा सकेगा, उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकतम पांच वर्षों के लिए जो प्रतिवर्ष एक से अधिक नहीं होगा :

पंरतु प्रत्याहरण की रकम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी की गई प्रवेश पत्र या सुसंगत फीस रसीद में दर्शाए गए प्रवेश के समय अपेक्षित अन्य भारों सहित फीस के खाते में वास्तविक अपेक्षाओं को प्रतिबंधित करेगा ।

**9. परिपक्वता की बंदी** – (1) खाते के खोलने की तारीख से 21 वर्ष की अवधि के पूर्ण होने पर खाते की परिपक्वता होगी ।

(2) खाते की बंदी 21 वर्ष के पूर्ण होने के पूर्व भी अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि खाताधारक आवेदन द्वारा खाताधारक की आशयित शादी के कारण ऐसी बंदी के लिए अनुरोध करता है । यदि नोटेरी द्वारा शासकीय स्टैंप पेपर पर यह प्रमाणित किया जाता है कि शादी की तारीख पर आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं है ।

परंतु आशयित शादी की तारीख से एक माह पूर्व या शादी की तारीख से तीन माह पश्चात् ऐसे बंदी को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(3) खाता धारक द्वारा प्ररुप 4 में किए गए आवेदन पर पैरा 5 के अधीन यथा लागू ब्याज के साथ बकाया अधिशेष खाताधारक को संदत्त होगा ।

10. **साधारण नियम का आवेदन** –साधारण नियमों का उपबंध जहां तक हो सके, ऐसे मामलों के संबंध में लागू होगा जिसके लिए इस स्कीम में कोई उपबंध न किया गया हो ।

11. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केंद्रीय सरकार खाताधारक के किसी असम्यक कठिनाई के कारण इस स्कीम के उपबंधों के प्रचालन पर संतुष्ट हैं तो लिखित में अभिलिखित कारणों और आदेश द्वारा ऐसे उपबंध की अपेक्षा या ऐसे खाताधारक के संबंध में उपबंधों से छूट दे सकेगी जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो ।

[फा. सं. 2/2/2018-एनएस(भाग-I)]

रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

**प्ररूप 1**

**[पैरा 3 का उप-पैरा (3) देखिए]**

**(खाता खोलने के लिए आवेदन)**

सेवा में,

श्रीमान, पोस्टमास्टर/प्रबंधक

-------------------------------

---------------------------------

| |
|---|
| आवेदक/आवेदकों का फोटो चिपकाएं |

श्रीमान,

मैं -----------------------------(आवेदक/संरक्षक) आपके डाकघर/बैंक में (स्कीम का नाम)....................................... के अधीन खाता खोलने के लिए आवेदन करता हूं ।

मैं---------------------------रुपए/- ------------------(------------------------शब्दों में रुपए) नकद/चैक/डिमांड ड्राफ्ट संख्यांक------------------------------तारीख--------------आरंभिक जमा के रूप में निविदा करता हूं/हैं । मेरी/हमारी विशिष्टियां निम्न प्रकार हैं:-

1. जमाकर्ता का नाम----------------------------

जन्म की तारीख---------------------(दिदि/मम/वववव) शब्दों में............................

2. संरक्षक/पति/पिता/माता का नाम-------------------------

जन्म की तारीख-------------------------(दिदि/मम/वववव)

3. संरक्षक का आधार संख्यांक

4. संरक्षक का स्थायी खाता संख्यांक (पैन)

5. वर्तमान पता ..........................................................

..........................................................

स्थायी पता ..........................................................................

..........................................................................................................................

6. संपर्क ब्यौरे

टेलीफोन नं. .......................

मोबाइल नं.--------------------

ई-मेल आईडी---------------

7. खाते का प्रकार ___________ अवयस्क

8.. (*) जमाकर्ता के जन्म के ब्यौरे ..............................................................

(क) प्रमाणपत्र सं.

(ख) जारी होने की तारीख

(ग) जारी करने वाला प्राधिकारी

9. अन्य संलग्न केवाईसी दस्तावेजों के ब्यौरे 1. पहचान का सबूत.....................

2. पते का सबूत ....................

...........................

निम्नलिखित दस्तावेज पहचान और पते के सबूत के प्रयोजन के लिए विधिमान्य दस्तावेजों के रूप में स्वीकृत किए जाते हैं: 1. पासपोर्ट 2. चालन अनुज्ञप्ति 3. मतदाता पहचान पत्र 4. नरेगा द्वारा जारी, राज्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जॉब कार्ड 5. नाम और पते के ब्यौरे सहित राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र ;

10. खाते का संचालन निम्न प्रकार से किया जाएगा:--

(क) संरक्षक द्वारा, जमाकर्ता के वयस्क होने तक

(ख) वयस्कता प्राप्त करने पर स्वयं जमाकर्ता द्वारा

11. नमूने हस्ताक्षर

1. ............................ 2.............................................. 3.......................

(नाम)..........................

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि देश के किसी डाकघर/ बैंक में क्रम संख्या I में उल्लिखित जमाकर्ता के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता नहीं खोला है ।

मैं यह भी घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं और जमाकर्ता दोने भारत के निवासी /नागरिक हैं और भविष्य में मेरे निवासी/नागरिकता प्रास्थिति में कोई परिवर्तन होने पर लेखा कार्यालय को सूचित करने का वचन देता हूं ।

मैं, स्कीम पर लागू उपबंधों और स्कीम को लागू सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018, और उसके अधीन समय-समय पर जारी संशोधनों, को पालन करने का वचन देता हूं ।

संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

तारीख..........................

**नाम निर्देशन**

मैं ...................................... नीचे उल्लिखित व्यक्ति(यों) का नाम निर्देशन करता हूं/करती हूं जिनको मेरी मृत्यु की दशा में अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करके डाकघर बचत खाता स्कीम में मेरी जमा रकम को मेरी मृत्यु के समय...................(स्कीम का नाम) में संदत्त की जाएगी:

| क्र.सं. | नाम निर्देशिती(यों) का नाम (के नाम) और संबंध | पूरा पता(पते) | नाम निर्देशिती का आधार संख्यांक नाम (वैकल्पिक) | अवयस्क के मामले में नाम निर्देशिती के जन्म की तारीख | हकदारी का अंश | हकदारी की प्रकृति, न्यासी या स्वामी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

चूंकि, उपरोक्त विनिर्दिष्ट क्रम संख्या (कों)-------------------- निर्देशिती (यां) अवयस्क है/हैं, श्री/श्रीमती/कुमारी-------------------------पुत्र/पुत्री/पत्नी-------------------------निवासी---------------------------को नाम निर्देशिती/नाम निर्देशितियों की अवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु की दशा में उक्त खाते के अधीन देय रकम को प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूं ।

1. साक्षी के हस्ताक्षर-----------------------

नाम और पता---------------------------

2. साक्षी का नाम-------------------

नाम और पता-----------------------

संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

स्थान:--------------------

तारीख:-------------------

**डाक घर /बैंक के प्रयोग हेतु**

यह खाता ------------------------के नाम में तारीख --------------------को रु. --------------के आरंभिक जमा के साथ ------------------------स्कीम के अधीन (स्कीम का नाम) खाता संख्यांक----------------------------तारीख------------------------द्वारा खोला गया है।

ग्राहक पहचान संख्यांक----------------------------

नाम निर्देशन संख्यांक ------------------------तारीख----------------------द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

**प्ररूप 2**

**[पैरा 7 का उप-पैरा (1) देखिए]**

**(परिपक्वता पूर्व खाता बंद करने के लिए आवेदन)**

सेवा में,

श्रीमान, पोस्टमास्टर/प्रबंधक

--------------------------------

----------------------------------

श्रीमान,

1. मैं अपने खाता संख्यांक----------------------जिसमें -----------------रुपए (रुपए---------------केवल) को परिपक्कता पूर्व बंद करने की वांछा करता हूं । आपसे नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार लागू शास्ति की कटौती के पश्चात् रकम के संदेय का अनुरोध करता हूं ।

कृपया मेरे बचत खाता संख्यांक--------------------स्थित ----------------(खाता कार्यालय का नाम) को रकम का प्रत्यय करें ।

या

कृपया डिमांड ड्राफ्ट/पाने वाले के नाम चैक जारी करें

या

कृपया नकद संदाय करें (लागू, यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से निम्न हों)

3. मैं घोषणा करता हूं कि जिसके अधीन परिपक्वता से पूर्ण खाता बंद किया जा सकता है के उपबंधों की अनुपालना की गई है। आवश्यक दस्तावेज, जहां लागू है, नीचे संलग्नित है :-

1.

2.

*प्रमाणित किया जाता है कि उपयोग के लिए प्रत्याह्रत/ ऋण की रकम ---------------जो जीवित है और अवयस्क है के प्रयोग के लिए अपेक्षित है ।

तारीख:.....................

जमाकर्ता /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

............................................................

(लेखा कार्यालय को जानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जमाकर्ता के अंगूछा छाप प्रमाणित किए जाने चाहिए)

**केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु**

संदाय के ब्यौरे

खाते में पात्र अतिशेष ........................................................................................

काटी गई शास्ति की रकम.......................................................................रुपए

संदत्त की जाने वाली कुल रकम............................................................(अंकों में)

(शब्दों में).........................................................................

तारीख मुद्रा...................................................... पोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर

**निस्तारण**

(खाताधारक/संदेशवाहक द्वारा भरा जाए)

रुपए--------------------------(अंको में) -----------------------------(शब्दों में) नकद /चैक/डीडी संख्यांक ---------------तारीख---------------------/खाता संख्यांक -------------को अंतरण, द्वारा, प्राप्त किए ।

तारीख: जमाकर्ता/संरक्षक के हस्ताक्षर/अगूंठा छाप

**प्ररूप 3**

**[पैरा 8 का उप-पैरा (1) देखिए]**

**(निकासी के लिए आवेदन)**

सेवा में,

श्रीमान, पोस्टमास्टर/प्रबंधक

--------------------------------

----------------------------------

श्रीमान,

मैं -----------------------------(जमाकर्ता/संरक्षक) नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार, अपने खाते से निकासी के लिए आवेदन करता हूं:-

खाता संख्यांक ..................................................

निकासी के लिए आवेदित रकम ...............................

*प्रमाणित किया जाता है कि उपभोग के लिए निकासी की मांग की रकम .................... के प्रयोग के लिए अपेक्षित है, जो जीवित है और अवयस्क है ।

2. कृपया मेरे बचत बैंक खाता सं................................ से निकासी की रकम प्रत्यय की स्थिति..................................... (खाता कार्यालय का नाम) करें ।

या

कृपया डिमांड ड्राफ्ट पाने वाले नाम चैक जारी करें ।

या

कृपया नकद संदाय करें (अनुज्ञेय सीमा से नीचे रकम होने के मामले में लागू)

3. प्रमाणित किया जाता है कि निकासी के अनुदान के लिए लागू सभी शर्तों की अनुपालना की गई है ।

आवश्यक दस्तावेज जहां लागू है, नीचे संलग्नित है :-

1.

2.

तारीख ................................ जमाकर्ता /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

.................................................प्रमाणित द्वारा.........................................

(अंगूठा छाप के मामले में प्रमाणन लागू)

**केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु**

संदाय के ब्यौरे

खाते में उपभोग की गई रमक रु0.........................................

आरंभिक अभिदान की तारीख ...............................................

तारीख, जब अंतिम निकासी अनुज्ञात थी ..............................

निकीस के लिए अनुदानित कुल रकम रु0..............................

.......................................................................................(अंकों में)

.......................................................................................(शब्दों में)

तारीख मुद्रा.............................................. पोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर

**निस्तारण**

(जमाकर्ता द्वारा भरा जाए)

रुपए--------------------------(अंको में) -----------------------------(शब्दों में) नकद /चैक/डीडी संख्यांक ---------------तारीख----------------------/खाता संख्यांक -------------को अंतरण, द्वारा, प्राप्त किए ।

तारीख: जमाकर्ता/संरक्षक के हस्ताक्षर/अंगूठा छाप

**प्ररूप 4**

**[पैरा 9 का उप-पैरा (3) देखिए]**

**(खाता बंद करने के लिए आवेदन)**

डाक घर /बैंक का नाम--------------------------------

तारीख............................

खाता संख्यांक....................................

1. मैं पासबुक/जमा रसीद प्रस्तुत करता हूं और अपने परिपक्व उपरोक्त उल्लिखित खाता को बंद करने के लिए आवेदन करता हूं ।

2. कृपया मेरे परिपक्व खाते में अतिशेष रकम का मेरे बचत बैंक खाता संख्यांक----------------------स्थित ---------------------(खाता कार्यालय का नाम) में प्रत्यय करें ।

या

कृपया डिमांड ड्राफ्ट/पाने वाले के नाम चैक जारी करें

या

कृपया नकद संदाय करें (लागू, यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से नीचे हो )

*प्रमाणित किया जाता है कि उपभोग के लिए निकासी /ऋण के लिए मांगी रकम -------------------------------- के प्रयोग के लिए है जो जीवित है और अवयस्क है, अपेक्षित है ।

जमाकर्ता/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

(लेखा कार्यालय को ज्ञात व्यक्ति द्वारा अंगूठा छाप प्रमाणित की जानी चाहिए)

**संदाय आदेश**

(केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु)

तारीख---------------------

**संदाय ब्यौरा**

मूल रकम रुपए-----------------------------------

(+) देय ब्याज रुपए---------------------------------------------

(-) अधिक संदत्त ब्याज की वसूली रुपए-----------------------------

कटौती, यदि कोई हो, रुपए--------------------------------

कुल देय रकम रुपए----------------------------

रुपए ------------------------------(अंको में) ---------------------------(शब्दों में) का संदाय करें ।

तारीख------------------------------------------------------ पोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर

**निस्तारण**

(जमाकर्ता द्वारा भरा जाए)

रुपए--------------------------(अंको में) -----------------------------(शब्दों में) नकद /चैक/डीडी संख्यांक ---------------तारीख----------------------/खाता संख्यांक -------------को अंतरण द्वारा, प्राप्त किए ।

तारीख: जमाकर्ता/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th December, 2019

**G.S.R. 914(E).—**In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-

**1. Short title and commencement.-**(1) This Scheme may be called the Sukanya Samriddhi Account Scheme, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.-**(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-